8. Any submissions/clarifications:

**VERIFICATION**

I ......................................(name in block letters) son/daughter of Shri.......................................... solemnly declare that I have read and understood the Delhi Tax Compliance Achievement Scheme, 2013, and to the best of my knowledge and belief, the information given in this declaration and the enclosures accompanying it are correct and complete and the amount of tax dues and other particulars shown therein are truly stated.

**Signature of the declarant/authorised person with stamp**

Place:

Date:

(To be assigned by the department)

Declaration No. Date

**Instructions:**

1. The Scheme has been notified under section 107 of the DVAT Act, 2004. The provisions contained therein may be read carefully (refer www.dvat.gov.in)
2. This Form shall be submitted online on departmental website and hard copy to be submitted to the concerned designated authority or any other officer deputed for the purpose.
3. The tax dues may be computed separately for each commodity/works contract, if the tax dues relates to more than one commodity/works contract during the period of declaration.
4. Obtain and acknowledgment from the designated authority in form DSC-2.
5. The declarant may approach the concerned Addl. Commissioner/Joint Commissioner for any clarification.'

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-VI (Finance)

## गृह-I (पुलिस)/स्थापना विभाग

## अधिसूचनाएँ

दिल्ली, 30 जनवरी, 2014

**सं. एफ. 16/8/2013/गृह पुलिस–I/स्था./5238 से 5240.**—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप–धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थाईकरण) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ | 1. | (1) | इन नियमों को दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थाईकरण) (संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा। |
| | | (2) | यह दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी। |
| नियम 12 का संशोधन | 2. | | दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थाईकरण) नियमावली, 1980 के नियम 12 के सिपाही (कार्यकारी) के पद संबंधी खंड (1)(क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– |
| " 'क' पदोन्नति सूची (कार्यकारी) स्थाई सिपाही (कार्यकारी) की सूची निम्न विद्यालयी पाठ्यक्रम के लिये भेजे जाने के लिये उपयुक्त | | | |

समझी जाएगी। पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा रखने वाले स्थाई सिपाही विचार करने योग्य होंगे। सूची विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों के आधार पर तैयार की जाएगी, जो (1) सेवा अभिलेख (2) वरिष्ठताक्रम (3) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (4) व्यावसायिक परीक्षण से मुक्ति आधारित मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाएगी, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित विषय होंगे:–

(i) शारीरिक प्रशिक्षण

(ii) प्रारम्भिक कानून एवं पुलिस का व्यवाहारिक कार्य

(iii) सामान्य ज्ञान

(iv) निष्पादित किए गए व्यावसायिक कार्य

40 वर्ष तक की आयु का कोई सिपाही (कार्यकारी) परीक्षण में भाग लेने के लिये योग्य होगा । चुने हुए सिपाहियों के नाम अगले एक वर्ष में उपलब्ध होने वाली प्रधान सिपाहियों की रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उनके वरिष्ठताक्रम के आधार पर "क" सूची में रखे जाएंगे। चुने गए सिपाही निम्न विद्यालयी पाठ्यक्रम के लिए उनकी चिकित्सीय उपयुक्तता के आधार पर भेजे जाएंगे।"

**HOME –I (POLICE)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT**

**NOTIFICATIONS**

Delhi, the 30th January, 2014

AUTHENTICATED BY
KIREN RIJIJU
Minister of State for Home Affairs
Govt. of India
North Block, New Delhi

**F. No. 16/8/2013/HP-I/Estt./ 5238 to 5240 .**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Promotion and Confirmation ) Rules 1980, namely:—

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Delhi Police (Promotion and Confirmation) (Amendment) Rules, 2014.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of Rule 12 -** In the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980, in rule 12, for clause (i) (a) relating to the post of Constable (Executive), the following shall be substituted, namely :-

"Promotion list 'A' (Executive) shall be a list of confirmed Constables (Executive) considered fit for being sent to Lower School Course. Confirmed Constables having a minimum of five years service shall be eligible for consideration. The list shall be framed on the recommendations of the Departmental Promotion Committee which shall adopt the evaluation system based on (1) Service record (2) Seniority (3) Annual Confidential reports (4) Acquittance in professional test which shall cover the following subjects:-

(i) Physical Training
(ii) Elementary law and police practical work
(iii) General knowledge
(iv) Professional work done.

A Constable (Executive) up to 40 years of age shall be eligible to appear in tests. The names of selected Constables shall be brought on list 'A' in order of their seniority keeping in view the number of vacancies in the rank of Head Constables likely to be available in the following one year. Selected Constables will be sent for Lower School Course subject to their medical fitness".

431 DS/14-4

सं. एफ. 16/4/2013/गृह पुलिस–I/स्था0/ 5234 से 5237.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं0 फा0 24/78/68–डी0एस0एस0 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात् दिल्ली पुलिस में विधि सलाहकार के पद से सम्बन्धित दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1981 में पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा ।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

2. नियम का संशोधन पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1981 के साथ संलग्न अनुसूची में

(क) कॉलम [illegible] में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–
01* (2014) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।

(ख) कॉलम 4 में, इससे सम्बद्ध शीर्षक एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"वेतन समूह एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान
वेतन समूह–3, 15600–39100 रुपये (ग्रेड वेतन 5400 रुपये)"

(ग) कॉलम 6 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–
35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिये पांच वर्ष की छूट)

टीपः–आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, (लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।)

(घ) कॉलम 7 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–
अनिवार्य :–
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि।
(ii) बार अथवा किसी विधिक विभाग में पांच वर्ष का अनुभव।

टीप–1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

टीप–2 यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

(ङ) कालम 10 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) और दोनों प्रकार से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

(च) कालम 11 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

पदोन्नति की स्थिति में : वेतन समूह–2 में, 9300–3480 रुपये जमा ग्रेड पे 4600 रुपये के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले सहायक विधि सलाहकार ।

टीप : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वे पदोन्नति के लिये विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति की स्थिति में (अल्पकालिक संविदा सहित)

केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/अर्द्ध सरकारी स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के निम्नलिखित अधिकारीगण :

1. (i) समरूप पद धारण करने वाले; अथवा
   (ii) वेतन समूह–2, वेतनमान 9300–34800 रुपये जमा ग्रेड पे 4800 रूपये में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित या समकक्षय;

अथवा

(iii) वेतन समूह 2, वेतनमान 9300–34800 रुपये जमा ग्रेड वेतन 4600 रुपये में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित या समकक्ष

तथा

2. कालम 7 के नीचे सीधी भर्ती वाले प्रत्याशियों के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।

टीप:–(भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे)।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। सामान्यतः 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।"

(छ) कालम 12 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिये), में:–

| | |
|---|---|
| (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | – अध्यक्ष |
| (2) मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार | – सदस्य |
| (3) प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय), दिल्ली सरकार | – सदस्य |
| (4) प्रधान सचिव (गृह), दिल्ली सरकार | – सदस्य |
| (5) पुलिस आयुक्त, दिल्ली | – सदस्य |